31.5.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प बूढादीत में पेश हुई। वादनी मय अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादनी को मजमें आम मे सुना गया, वकील वादनी ने कथन किये कि ग्राम झोपडियां तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 23 में वादनी के नाम केलाशी बेवा जानकीलाल एवं रामभरोस पत्नी जानकीलाल से दो प्रविष्टिया दर्ज है, जबकि उक्त दोनो नाम एक ही महिला वादनी के है। एवं ग्राम पीपल्दा सांड तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 14 पर पर अंकित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम केलाशी बेवा जानकीलाल अंकित है, जिसे दुरूस्त किया जावें। वादनी द्वारा वांछित रिलीफ के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम झोपडियां में वादनी के नाम से दो प्रविष्टिया होना एवं ग्राम पीपल्दा सांड में वादनी का नाम केलाशी बेवा जानकीलाल अंकित होना राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन तथा मजमें आम में प्राप्त जानकारी से स्पष्ट है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम झोपडियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 62, 63, 168, 280 कुल किता 4 रकबा 2.45 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम केलाशी बेवा जानकीलाल एवं रामभरोस पत्नी जानकीलाल के स्थान पर केलाश बाई उर्फ रामभरोस बाई पत्नी जानकीलाल एवं ग्राम पीपल्दा सांड तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 33, 37, 38, 531, 534, 535 कुल किता 6 रकबा 10.62 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम केलाशी बेवा जानकीलाल के स्थान पर केलाश बाई उर्फ रामभरोस बाई पत्नी जानकी लाल दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया।

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बूढादीत

उनवान

कैलाश बाई उर्फ रामभरोस बाई बेवा जानकीलाल जाति मीना निवासी झोपडियां तहसील दीगोद हाल चहीचा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी

–वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 11/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम झोपडियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 62, 63, 168, 280 कुल किता 4 रकबा 2.45 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम केलाशी बेवा जानकीलाल एवं रामभरोस पत्नी जानकीलाल के स्थान पर केलाश बाई उर्फ रामभरोस बाई पत्नी जानकीलाल एवं ग्राम पीपल्दा सांड तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 33, 37, 38, 531, 534, 535 कुल किता 6 रकबा 10.62 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम केलाशी बेवा जानकीलाल के स्थान पर केलाश बाई उर्फ रामभरोस बाई पत्नी जानकी लाल दर्ज किया जावें।" तद्नुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प बूढादीत में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner